न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– औमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 01 /2026
निर्णय दिनांक : 12.02.2026
जीसीएमएस कमांकः 2026/01

1. प्रदुमन सिंह राठौड़ पुत्र न्यायाधिपति श्री करणी सिंह राठौड उम्र 44 वर्ष नि. शेखावत मानसिंह एनक्लेव, क्विन्स रोड़ नेमी सागर कॉलोनी वैशाली नगर, जयपुर राज.

.......वादी

बनाम

1. उर्मिला कंवर पुत्री मुकनसिंह जाति राजपूत नि. सिरोही हाल गोपालपुरा
2. सुशीला कंवर पुत्री मुकनसिंह जाति राजपूत नि. सिरोही हाल गोपालपुरा
3 श्री राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब सुजानगढ़

.... प्रतिवादीगण

कृषि भूमि के विभाजन का वाद
वर विनाय शहादत हर किश्म

उपस्थितः–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पार्थ शर्मा, श्री शुभम खण्डेलवाल।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा।
3. राजपैरोकार तहसीलदार सुजानगढ़

–:निर्णयः–

संक्षेप में वाद के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि वाके रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ में खेत खसरा नम्बर 233/963 कुल तादादी 10.1160 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी का स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने आपस में विभाजन कर रखा है एवं इनका खान पान रहना आदि सब वर्तमान में अलग अलग ही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने विभाजन मोके पर कर रखा है। वादगत खेत खसरा के राजस्व रेकार्ड में वादी का 5.5638 है0 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादी का वादगत खेत खसरा में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से की भूमि में से पूर्वी तरफ का हिस्सा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। जिसको वादी अपने नाम अलग से विभाजन करवाना

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

चाहता है। उपर्युक्तानुसार वादी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है एवं इसी के मुताबिक मोके पर वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मोके पर चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 अलग अलग रहते है एवं अलग अलग ही खान पान है एवं अलग अलग ही काश्त करते है। जिनके संयुक्त खातेदारी भूमि होने के कारण मनमुटाव रहने लग गया है एवं संयुक्त खातेदारी रहने के कारण वादी को सरकारी फायदे से महरूम रहना पड़ रहा है। जिस कारण वर्तमान मोके की स्थिति के अनुसार हिस्से पांती को राजस्व रिकार्ड में अलग से खातेदारी में दर्ज करवा कर विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने अलग हिस्से कब्जा काश्त व हिस्से पांती की भूमि को सुरक्षित करने के लिए तारबन्दी करना शुरू किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने दखलअंदाजी की है। वादी ने प्रतिवादीगण संखय 1 ता दो से विभाजन हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 टालमटोल करते रहे है अन्त में दावा प्रस्तुत होने के पिछले हफ्ते विवादित कृषि भूमि में वाद पत्र वर्णितानुसार भूमि का विभाजन हेतु निवेदन किया लेकिन वोह स्पष्ट इन्कार हो गये जिससे वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। कानूनन वादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है जिस पर अलग से कब्जा काश्त वादी का है। इस प्रकार से वादी को वादाधार प्राप्त है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादगत सम्पूर्ण खसरा नम्बर 233/963 तादादी 10.1160 हैक्टेयर भूमि वाके रोही गोपालपुरा का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का वाद पत्र की मद संख्या तीन के अनुसार अलग से उनके हिस्से के अनुसार खातेदारी में अंकित कर अलग से कायम की जावे तथा खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने उपस्थित होकर इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण सं० 3 की ओर से पेरोकारराज तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा राज्य हित निहित नहीं होना जाहिर किया गया है। वादी तथा प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करनी नहीं चाही। प्रकरण में इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत होने की स्थिति में तनकीयात कायम कर साक्ष्य करवाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती अतः पत्रावली में बहस हेतु दिनांक नियत की गयी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 233/963 कुल तादादी 10.1160 हैक्टेयर वाके रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रेकार्ड में वादी का 5.5638 है० हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादी का वादगत खेत खसरा में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से की भूमि में से पूर्वी तरफ का हिस्सा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। जिसको वादी अपने नाम अलग से विभाजन करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 ने वादी के कथन का समर्थन करते हुए वादी का दावा मुताबिक वादपत्र डिक्री किये जाने पर काई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। पक्षकारान ने मुताबिक वादपत्र दावा डिक्री फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

बहस सुनी जाकर बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वाद के साथ प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खसरा नम्बर 233/963 कुल तादादी 10.1160 हैक्टेयर वाके रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ प्रस्तुत किया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी वादगत भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। एक रिकॉर्डेड खातेदार अपनी भूमि का विभाजन करावाने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ के वादगत खेत खसरा नम्बर 233/963 कुल तादादी 10.1160 हैक्टेयर की पूर्वी तरफ की 5.5638 है0 भूमि जिसपर वादी का कब्जा काश्त उपयोग है की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में वादी अकेले के नाम पृथक अंकित की जाकर लगान कायम किया जावें। वादगत खसरे की पश्चिमी ओर की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम यथावत रखी जाये। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**
व इजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

प्रदुमन बनाम उर्मिला आदि

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 01 सन 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा हाजरी श्री पार्थ शर्मा अधिवक्ता वादी, .मिनजानिब मुद्दई व श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी, पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ के वादगत खेत खसरा नम्बर 233/963 कुल तादादी 10.1160 हैक्टेयर की पूर्वी तरफ की 5.5638 है0 भूमि जिसपर वादी का कब्जा काश्त उपयोग है की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में वादी अकेले के नाम पृथक अंकित की जाकर लगान कायम किया जावें। वादगत खसरे की पश्चिमी ओर की शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम यथावत रखी जाये।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।
[illegible] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **12 माह 02 2026**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

दस्तखत ....
ओहदा ....
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनतानाव कीलपर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हरदोफरी केनका, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना